राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल अपील याचिका संख्या 8253/2024

किशन लाल जाट पुत्र उदय राम जाट, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी नाडी का कुवा, फलीचड़ा खेड़ी, पोस्ट फलीचड़ा, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ, महाप्रबंधक मुख्यालय, पश्चिमी रेलवे, मुंबई 400001 के माध्यम से।
2. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001
3. सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, व्यक्तिगत शाखा, सीएसएमटी, मुंबई 400001
4. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, हेरिटेज राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर के पास, जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री ओ.पी. सांगवा श्री भेरू लाल जाट के साथ
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी एस.जी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

निर्णय की तारीख 22/05/2024

प्रति माननीय मेहता, जे (मौखिक):

रिपोर्ट करने योग्य

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर बेंच, जोधपुर (जिसे आगे 'न्यायाधिकरण' कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक 20.02.2024 के आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उनके मूल आवेदन संख्या 459/2023 (किशन लाल

जाट बनाम भारत संघ और अन्य) को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (जिसे आगे '1985 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 19 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

2. इस मुद्दे के अंतर्गत अपेक्षित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता - उदयपुर निवासी, ने रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई (जिसे आगे आरआरबी, मुंबई कहा जाएगा) द्वारा अधिसूचित केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी-01/2019 दिनांक 23.02.2019 (संक्षेप में 'सीईएन') के अनुसार लेवल 1 में ग्रुप 'डी' के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसके तहत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

3. याचिकाकर्ता को भर्ती के विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद अनंतिम रूप से चुना गया था, लेकिन उसे पोस्टिंग नहीं दी गई, क्योंकि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।

4. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता न केवल उदयपुर का निवासी है, बल्कि उसे उदयपुर में परीक्षा केंद्र भी आवंटित किया गया था - 'राघव इन्फोटेक डीसी टाक कंपाउंड आदर्श नगर, पेसिफिक यूनिवर्सिटी के सामने, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, एयरपोर्ट रोड'।

5. नियुक्ति आदेश जारी न किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने 1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त मूल आवेदन को न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है। ऐसा करते समय न्यायाधिकरण ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने आरआरबी, मुंबई द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था, इसलिए भर्ती से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने का अधिकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुंबई स्थित पीठ के पास है, जैसा कि केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के खंड 20.4 में प्रावधान किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सांगवा ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को न्यायोचित नहीं ठहराकर गलती की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता उदयपुर का निवासी है और उसे उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए केंद्र आवंटित किया गया था और इसलिए, जोधपुर पीठ में न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना उसके लिए उचित था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उदयपुर में

कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पन्न हुआ था, जो जोधपुर पीठ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है।

7. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 (जिसे आगे '1987 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (ii) पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा मुंबई जाने के बजाय जोधपुर बेंच में न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना उचित था, जहां रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय स्थित है।

8. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल श्री मुकेश राजपुरोहित ने प्रस्तुत किया कि सीईएन के खंड 20.4 के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच से संपर्क करना आवश्यक था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीईएन की शर्तें बहुत स्पष्ट और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी थीं और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को खारिज करने में न्यायाधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की गई है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी गई।

10. आगे बढ़ने से पहले, हम 1987 के नियम 6(1)(ii) को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो न्यायाधिकरण की शक्तियों को निर्धारित करता है, जहाँ तक क्षेत्रीय अधिकारिता का संबंध है। नियम 6(1)(ii) इस प्रकार है:-

> "6. आवेदन दाखिल करने का स्थान.-(1) कोई आवेदन सामान्यतः आवेदक द्वारा उस पीठ के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में-
>
> (i) आवेदक वर्तमान में तैनात है, या
>
> (ii) कार्रवाई का कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है;
>
> बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुमति से आवेदन मुख्य पीठ के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जा सकता है और धारा 25 के तहत आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन की सुनवाई और निपटान उस पीठ द्वारा किया जाएगा जिसके पास मामले पर अधिकार क्षेत्र है।"

11. सीईएन का खंड 20.4 इस प्रकार है:-

"इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मुद्दे संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी/आरआरसी स्थित है।"

12. यह सच है कि यदि केवल CEN के खंड 20.4 पर विचार किया जाए तो यह धारणा बनती है कि भर्ती से संबंधित विवाद को मुंबई स्थित न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष उठाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में, खंड 20.4 केवल विज्ञापन की एक शर्त है, जबकि नियम 6 के उप-नियम (1) का खंड (ii) एक वैधानिक प्रावधान है। भर्ती/विज्ञापन की किसी भी शर्त पर 1987 के नियमों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसलिए मूल आवेदन को अस्वीकार या वापस नहीं किया जा सकता है।

13. रेलवे/भारत संघ या राज्य का कोई भी साधन विज्ञापन में कोई शर्त शामिल नहीं कर सकता है और न ही अधिकार क्षेत्र को अपनी सुविधा के अनुसार सीमित कर सकता है। भारत संघ विज्ञापन में एकतरफा कोई खंड जोड़कर अधिकार क्षेत्र को छीन या रोक नहीं सकता है।

14. हमारे अनुसार, 1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना, अनिवार्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका का विकल्प है और इसलिए, किसी भी प्रशासनिक निर्देश या विज्ञापन की शर्तों के माध्यम से नागरिक के उपचार लेने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।

15. हमारे विचार से, जब आरआरबी, मुंबई ने परीक्षा में बैठने के लिए उदयपुर में एक केंद्र प्रदान किया है और स्थापित किया है और जब भर्ती इस विशाल देश के कोने-कोने में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए खोली गई है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों/उम्मीदवारों को मुंबई में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हमारे अनुसार, यह एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और सीईएन में ऐसी शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध होगी।

16. उपरोक्त के अलावा, मामले का एक और पहलू है। मूल आवेदन की प्रति के साथ संलग्न दिनांक 08.06.2023 के संचार (अनुलग्नक-ए/7) के अवलोकन से पता चलता है कि आरआरबी ने याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की थी या उसे आरआरसी/बीबी द्वारा पैनल में शामिल किया गया है। हमारा दृढ़ मत है कि एक बार सिफारिश हो जाने के बाद, मामला आरआरबी के पाले से बाहर हो जाता है।

न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी, पात्रता या भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को खारिज करने के बारे में नहीं था, बल्कि नियुक्ति न दिए जाने के बारे में था। यह पात्रता नहीं, बल्कि उपयुक्तता है जो सवालों के घेरे में है। उपयुक्तता का फैसला नियोक्ता यानी रेलवे द्वारा किया जाना है और यह सहायक कार्मिक अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) की कार्रवाई थी, जो वास्तव में न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद का विषय है।

17. एक बार याचिकाकर्ता को पैनल में शामिल कर लिया गया, तो फोरम या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित विज्ञापन की शर्तें निरर्थक हो गईं। पैनल में शामिल होने के बाद, यह भर्ती से संबंधित विवाद के रूप में जारी नहीं रह जाता। इसलिए, न्यायाधिकरण ने सीईएन के खंड 20.4 के आधार पर याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराते हुए कानून और तथ्यों की स्पष्ट त्रुटि की है।

18. इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 20.02.2024 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है।

19. मामले को न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया जाता है ताकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

20. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका और स्थगन आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे **(दिनेश मेहता),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।